P-8I पैट्रोल विमान

drishtiias.com/hindi/printpdf/p-8i-patrol-aircraft

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राज्य विभाग ने भारत को छह **P-8I पैट्रोल विमान** और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंज़ूरी दी है।

- यह छह विमान एन्क्रिप्टेड सिस्टम (**Encrypted Systems**) से युक्त होकर भारत आएंगे, जैसा कि भारत ने अमेरिका के साथ **संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA)** पर हस्ताक्षर किया था।
- वर्ष 2019 में **रक्षा अधिग्रहण परिषद** ने विमान की खरीद को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

P-8I विमान के बारे में:

- यह एक लंबी दूरी का **समुद्री गश्ती एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक** विमान है।
- यह **P-8A पोसाइडन विमान का एक प्रकार** है जिसे बोइंग कंपनी ने अमेरिकी नौसेना के पुराने P-3 बेड़े के प्रतिस्थापक के रूप में विकसित किया है।
- **907 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति और 1,200 समुद्री मील से अधिक** की दूरी पर एक ऑपरेटिंग रेंज के साथ P-8I खतरों का पता लगाता है और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय तटों के आसपास पहुँचने से पहले उन्हें अप्रभावी कर देता है।
- वर्ष 2009 में **भारतीय नौसेना** P-8I विमान के लिये **पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक** बनी।

भारत-अमेरिका रक्षा संबंध:

- यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका-भारत **रणनीतिक संबंधों को मज़बूती** प्रदान करने में मदद करता है।
  - अमेरिका के लिये, **हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र** में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगति की दिशा में भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका से **रक्षा खरीद** दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का एक अभिन्न अंग है।
  - भारत-अमेरिका के बीच **रक्षा व्यापार वर्ष 2008** में लगभग शून्य था जो **वर्ष 2020 में लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया है, जिसने दोनों देशों के बीच प्रमुख नीति उन्नयन में मदद की।

- वर्ष 2016 में अमेरिका ने **भारत को एक "मेजर डिफेंस पार्टनर"** नामित किया था। वर्ष 2018 में अमेरिका ने **सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1** (STA-1) के तहत भारत को **नाटो** सहयोगी देश और ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के समान रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुँच प्रदान की है।

संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA):

- **संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)** अमेरिका और भारत के संचार सुरक्षा उपकरणों के **हस्तांतरण** के लिये एक कानूनी ढाँचा है जो उनकी सेनाओं के बीच " इंटरऑपरेबिलिटी या अंत:संचालन" की सुविधा और संभवतः डेटा लिंक सुरक्षा के लिये अन्य सेनाओं के साथ अमेरिका-आधारित तंत्र का उपयोग करेगा।
- **यह उन चार मूलभूत समझौतों में से एक है जो अमेरिका के सहयोगी और करीबी पार्टनर देशों को उच्च क्षमता तकनीक एवं सेनाओं के बीच अंत:संचालन की सुविधा का संकेत देता है।**
- यह संचार और सूचना पर सुरक्षा ज्ञापन समझौते (CISMOA) का एक भारत-विशिष्ट संस्करण है।

अमेरिका और उनके भागीदारों के बीच चार मूलभूत समझौते

- **मिलिट्री इनफार्मेशन एग्रीमेंट ऑफ़ जनरल सिक्योरिटी (GSOMIA)**
  - यह सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है।
  - इस पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया।
- **लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)**:
  - यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं की एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुँच को आसान बनाता है। यह नौसेना का यू.एस.ए. के साथ समुद्र में ईंधन हस्तांतरण के लिये एक ईंधन विनिमय समझौता है।
  - इस पर भारत ने वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किये।
- **संचार और सूचना पर सुरक्षा ज्ञापन समझौता (CISMOA)**
  - COMCASA समझौता, CISMOA का संचार और सूचना से संबंधित भारत-विशिष्ट संस्करण है।.
  - इस पर भारत ने वर्ष 2018 में हस्ताक्षर किया।
- **बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA)**
  - BECA भारत और अमेरिकी सैनिकों को एक दूसरे के साथ भू-स्थानिक जानकारी और उपग्रह डेटा साझा करने की अनुमति देगा।
  - **BECA** पर भारत ने वर्ष 2020 में हस्ताक्षर किये।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)

- रक्षा अधिग्रहण परिषद तीन सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) और भारतीय तटरक्षक बल के लिये नई नीतियों व पूँजी अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली **रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था** है।
- DAC की अध्यक्षता **रक्षा मंत्री** द्वारा की जाती है।

- कारगिल युद्ध (वर्ष 1999) के पश्चात् राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिशों के बाद वर्ष 2001 में रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना गई थी।

स्रोत: द हिंदू